15/4/25 पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा.पत्र पेश हुई प्रा.पत्र
07 R11 व 022 R4 व 151 CPC आंशिक स्वीकार कर
परिवाद वाद कारण समाप्त होने से निरस्त किया
जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया डिक्री पत्र
बाद नियम से जारी हो।
आदेश सुनाया गया

GCMS
2016/00041

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:36 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(प्र.सं. 169/2016 गोपाल वगैरह बनाम सूरजनाथ व अन्य)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित हैं। तर्क पक्षकारान सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वर्तमान में प्रार्थी भूपनाथ (प्रतिवादी सं. 4) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित आदेश 22 नियम 4 एवं 151 सी.पी.सी. पर विचारण किया जाना है, जो प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 4) ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 सूरजनाथ की मृत्यु हो चुकी है व वादीगण द्वारा सूरजनाथ की भूमि से ही अनुतोष चाहा गया है। वादीगण द्वारा मूल प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवा लिया गया है, इसलिए वादीगण को उसके खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश होने से उनके विरुद्ध वाद कारण समाप्त हो चुका है। प्रतिवादी के विरुद्ध वाद कारण समाप्त होने से एवं संशोधित वाद कारण सहित नया संशोधित वाद प्रस्तुत ना होने से वर्तमान वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्तनीय है, इसलिए इसे निरस्त करने की प्रार्थना की गई। प्रार्थना–पत्र का जवाब अप्रार्थीगण (वादीगण) से प्राप्त कर तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा हिन्दू विधि के अन्तर्गत सहदायी परिवार मानते हुए दादा की पैतृक सम्पत्ति में हकों की घोषणा चाही है। दादा के विरुद्ध ही वाद कारण व्यक्त कर वाद प्रस्तुत किया गया है। दौराने वाद दादा का नाम दिनांक 12.09.2024 को कलमजन किये जाने के आदेश दिये गये हैं, जो वादी के प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.05.2024 के प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिये गये हैं, जिसमें वादी ने प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। बाद नाम कलमजन होने वाद कारण विरुद्ध प्रतिवादी समाप्त होने से व समस्त सम्बन्धित पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाने से वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण (वादीगण) ने निवेदन किया कि समस्त हितबद्ध पक्षकार पूर्व में पत्रावली में प[illegible] मात्र अभिभाषक द्वारा त्रुटिवश नाम कलमजन [illegible] गया। वाद कारण सही रूप में [illegible] जो अब समस्त Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2025.04.16 19:21:36 IST Reason: SelfAttested क्रमशः	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15.04.2025	वारिसान पर प्रभावशील है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की। पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन उपरान्त पाया कि स्वयं वादीगण (अप्रार्थीगण) द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.05.2024 में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने की प्रार्थना की गई है। इससे उनका नाम कलमजन होने से उनके विरुद्ध वाद कारण समाप्त होना माना जाने योग्य है। वादीगण अपने आपको भूपनाथ के पुत्र/पुत्रीयान व प्रतिवादी सं. 1 के पौत्र/पौत्रीयान बताकर वाद प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान में मूल प्रतिवादी सं. 1 सूरजनाथ की मृत्यु होने से राजस्व रिकॉर्ड के स्वरूप में परिवर्तन होना व उसके कारण वाद कारण में परिवर्तन होना प्राथमिक रूप से परिलक्षित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वादीगण नये वाद कारण सहित संशोधित वाद प्रस्तुत करने की प्रार्थना कर सकते हैं ताकि न्याय प्राप्त हो सके। साथ ही इस वाद में सहदायी की अवधारणा से वाद प्रस्तुत हुआ है। उस अवस्था में सूरजनाथ के सभी पुत्र, पौत्र, पड़पौत्र (यदि कोई हो) को हितबद्ध पक्षकार माना जाने योग्य है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य सहित पक्षकार बनाया जाना प्रतीत नहीं होता। इस आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 4) स्वीकार योग्य बनता है। उपरोक्त अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 4) अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सपठित आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आंशिक रूप से स्वीकार कर वाद वादीगण वाद कारण समाप्त होने के आधार पर इसी स्तर पर इस संशोधन सहित निरस्त किया जाता है कि वाद निरस्ती के बाद वादीगण सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार बनाकर एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व वाद कारण के आधार पर वाद प्रस्तुत करने को स्वतंत्र हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 15.04.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2025.04.16 19:21:36 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. गोपाल
2. रोशनी

} पुत्र/पुत्री भूपनाथ अकवाम नाथ निवासीयान किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3. हीरा पुत्री भूपनाथ नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सुमित्रा पत्नी भूपनाथ पुत्री रामकुमार जाति नाथ निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सोनू पुत्री भूपनाथ नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सुमित्रा पत्नी भूपनाथ पुत्री रामकुमार जाति नाथ निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. सुमित्रा पत्नी भूपनाथ पुत्री रामकुमार जाति नाथ निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. सूरजनाथ पुत्र कुम्भनाथ जाति नाथ निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मृत्यु हो जाने पर आदेश दिनांक 12.09.2024 के द्वारा नाम कलमजन)
2. रामचन्द्र
3. बीरबल
4. भूपनाथ
5. रामकौरी
6. सलोचना
7. गीता
8. लीला
9. लिछमा

} पुत्र/पुत्रीयां सूरजनाथ अकवाम नाथ निवासीयान रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

10. हरजी (फौत) जरिये वारिसान :–
    - 10/1. राजू
    - 10/2. राकेश
    - 10/3. तारा

    } पुत्र/पुत्रीयां हरजी अकवाम नाथ निवासीयान रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
11. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू–धारक
12. उप–पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय, सूरतगढ़/राजियासर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 53, 88, 183 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 169 वर्ष 2016 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादीगण श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार व श्री राम प्रताप तिवाड़ी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 4, 10/2 श्री भगवान दत्त शर्मा एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 4) अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सपठित आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आंशिक रूप से स्वीकार कर वाद वादीगण वाद कारण समाप्त होने के आधार पर इसी स्तर पर इस संशोधन सहित निरस्त किया जाता है कि [illegible]स्ती के बाद वादीगण सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार बनाकर एवं [illegible] रिकॉर्ड व वाद कारण के आधार पर वाद प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15.04.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:36 IST
Reason: SelfAttested